

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/

1360

दिनांक - 14/04/23

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 कुम्भाराम पुत्र धूड़ाराम 2 उगराराम पुत्र नाथाराम 3 काना पुत्र टोहा 4 गुणेशाराम 5 गोकलाराम पिसरान भूरा 6 गोपाराम 7 चनणाराम पिसरान रूपाराम 8 छगनाराम पुत्र धूड़ाराम 9 टीकमाराम पुत्र रूपाराम 10 तुलछाराम पुत्र भुराराम 11 भूरीदेवी पत्नी धुड़ाराम 12 भीखाराम 13 मूलाराम पिसरान केहना 14 मीरादेवी पत्नी भुरा 15 रामाराम पुत्र धुड़ाराम 16 विरधाराम पुत्र केहनाराम 17 सजनी पत्नी टोहा जाति जाट निवासी आदर्श उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।


1 बांकाराम पुत्र अचलाराम जाति जाट 2 पदमसिंह पुत्र हेमसिंह 3 रायसिंह पुत्र हुकमसिंह 4 किशनसिंह पुत्र दीपसिंह 5 उम्मेदसिंह पुत्र पोलसिंह 6 नाथुसिंह पुत्र पनेसिंह 7 जोगराजसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत 8 फता पुत्र गेना 9 धना पुत्र जेठा जाति जाट निवासी उण्डखा 10 सबलसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 104/2023

दिनांक- 05/04/23

## आदेश


उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आदर्श उण्डखा पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 722/283 रकबा 25.1148 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
(समदरसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड बाड़मेर

दिनांक- 14/04/23

क्रमांक :- रीडर/2023/ 1361-64  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. कुम्भाराम पुत्र धूड़ाराम वगैराह जाति जाट निवासी आदर्श उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी बांकाराम पुत्र अचलाराम वगैराह जाति जाट निवासी उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड बाड़मेर